न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या–01, मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी – प्रेम प्रकाश जीनगर (आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या	56/2013
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या	438/2014
सीएनआर सं	**RJUD130000352013**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	305/2012, **पीएस– डबोक**
अपराध अंतर्गत धारा	19/54, 54ए **राजस्थान आबकारी अधिनियम,** 1950

भाग–प्रथम

A

परिवादी	राजेश शर्मा
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	1. देरामा राम पुत्र विरमा राम, उम्र– बालिग, निवासी– रामदेव मंदिर सेतराउ, थाना– रामसर, जिला– बाड़मेर राज. 2. हेमा राम पुत्र जोरा राम, उम्र– बालिग,निवासी– रामदेव मंदिर सेतराउ, थाना– रामसर, जिला– बाड़मेर राज. 3. श्रीमती जेठी देवी पत्नी मुलाराम, उम्र– बालिग, निवासी– जाटावास वार्ड नंबर कोलायत, थाना– कोलायत, बीकानेर राज.
अधिवक्ता अभियुक्त	1. श्री नितिन मण्डोवरा **(अभियुक्तगण देरामा राम व हेमाराम की ओर से)** 2. श्री शैलेन्द्र सिंह राणावत **(अभियुक्ता जेठी देवी की ओर से)**
अधिवक्ता परिवादी	-----

B

अपराध की दिनांक	13.09.2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	13.09.2012
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	26.02.2013
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	22.08.2016 (अभियुक्त देरामा राम व हेमाराम) 05.09.2016 (अभियुक्ता जेठी देवी)
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	05.12.2016
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	-----
निर्णय दिनांक	**01.07.2026**
दण्डादेश की दिनांक	

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	देरामा राम	-----	-----	19/54, 54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950	दोषमुक्त	-----	-----
2	हेमाराम	-----	-----	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950	दोषमुक्त	-----	-----
3	श्रीमती जेठी देवी	-----	-----	19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950	दोषमुक्त	-----	-----

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	लाल शंकर	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू 2	रामलाल	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू 3	केदार मल	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू 4	मगन लाल	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 5	भीमराज	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू 6	नारायण सिंह	अभियुक्त जेठीबाई को गिरफतार कर अनुसंधान
पी.डब्ल्यू 7	सुखदेव	एफएसएल जमा
पी.डब्ल्यू 8	हरिसिंह	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू 9	राजेश शर्मा	परिवादी
पी.डब्ल्यू 10	सत्यपाल/सतपाल	चश्मदीद साक्षी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श नंबर**	**विवरण**
01	प्रदर्श पी.01	घटनास्थल नक्शा मौका
02	प्रदर्श पी.02	गवाह रामलाल के पुलिस बयान
03	प्रदर्श पी.03	फर्द जब्ती
04	प्रदर्श पी.04	फर्द जब्ती
05	प्रदर्श पी.05	फर्द गिरफतारी अभियुक्त
06	प्रदर्श पी.06	फर्द गिरफतारी अभियुक्त
07	प्रदर्श पी. 07	गवाह भीमराज के पुलिस बयान
08	प्रदर्श पी. 08	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता जेठी देवी
09	प्रदर्श पी. 09	एफएसएल हेतू अग्रेषण पत्र
10	प्रदर्श पी. 10	एफएसएल जमा प्राप्ति रसीद
11	प्रदर्श पी. 11	पर्चा कायमी
12	प्रदर्श पी. 12	चाक एफआईआर
13	प्रदर्श पी. 13	रोजनामचा रपट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श सी-01	एफएसएल रिपोर्ट

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

– निर्णय –

01. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि "दिनांक 13.09.2012 को श्री

राजेश शर्मा थानाधिकारी डबोक ने मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान व जब्तशुदा शराब सैंपल व ट्रक के उपस्थित थाना हो एक पर्चा कायमी इस प्रकार से किया कि दिनांक 13/09/2012 को उन्हें जरिए मुखबीर समय 11.00 AM पर सूचना मिली कि एक ट्रक RJ 07 GB 3345 में कपासन की तरफ से अंग्रेजी शराब भरकर गुजरात की तरफ जाने वाला है, तुरन्त नाकाबन्दी की जावे तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने से उसने मय ASI मगन लाल, HC लाल शंकर N. 1074, कानि० सतपाल N.1259, हरि सिंह N. 711, केदार मल N. 1008 मय सरकारी जीप व चालक रमेश चन्द्र मय अनुसंधान सामग्री के समय 11.10 एएम पर वास्ते नाकाबंदी हेतू थाने से रवाना होकर मधुफला पेट्रोल पंप के सामने करीब 11.20 एएक पर पहुंच नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी राह चलते मौतबीरान श्री भीम राज S/O नोजी राम डाँगी R/O नान्दवेल व राम लाल S/O मेघराज बंजारा R/O बंजारों का खेड़ा बजाज नगर को रोक कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया गया तो हर दोनों व्यक्तियों द्वारा मोतबीर बनने की सहमति जाहिर की। दौराने नाकाबन्दी करीब 12.15 PM पर एक ट्रक टर्बो जिसके नम्बर RJ 07 GB 3345 डबोक की तरफ से आता हुआ नजर आया, जिस पर उसने मय जाप्ता ट्रक को हाथ का इशारा देकर रोका व ट्रक के केबिन में बैठे ड्राईवर व खलासी को पकड़ कर नीचे उतार कर नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम देरामा राम पिता विरमा राम जाट चौधरी उम्र 25 वर्ष R/O रामदेव मंदिर सेतराऊ PS रामसर जिला बाडमेर व खलासी ने अपना नाम हेमा राम S/O जोरा राम कि दौराने जाट चौधरी उम्र 21 वर्ष R/O रामदेव मंदिर सेतराऊ PS रामसर जिला बाड़मेर का होना बताया गया। मौतबीरान के समक्ष ट्रक के उपर लगा तरपाल हटवा कर देखा गया तो ट्रक के अन्दर अंग्रेजी शराब व बियर की पेटिया भरी हुई होना पाया गया। ट्रक चालक को उक्त शराब के कोई वैध कागजात के बारे में पूछा गया तो कोई वैध कागजात नहीं होना बताया गया। जिस पर ट्रक चालक मय खलासी व ट्रक टर्बो को साथ लेकर थाने पर आया। थाने के सामने ट्रक को खड़ी कर मौतबीरान के समक्ष ट्रक के अन्दर से भरे शराब व बियर के कार्टुन नीचे उतरवा कर गिनती की गई तो (1) बियर हैवर्डस 5000 टिन वाली 5000 ML के 387 कार्टुन होकर प्रत्येक कार्टुन में 24 बोतल कुल 9288 बोतल व बेग पाईपर व्हीस्की के 285 कार्टुन हो प्रत्येक कार्टुन में 48 पव्वे कुल 13680 पव्वे एवं रॉयल स्टेज व्हीस्की के 218 कार्टुन हो प्रत्येक कार्टुन में 48 पब्बे शराब के हो कुल पव्वे 10464 पाए गए। अभियुक्तों द्वारा बिना लाईसेन्स अवैध शराब का परिवहन करना जुर्म धारा 19/54 Ex. Act का पाया जाने से नियमानुसार कार्यवाही की गई।".........आदि।

––उक्त आशय की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. न्यायालय द्वारा **अभियुक्त देरामा राम** को धारा 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम, **अभियुक्त हेमा राम** को धारा धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम एवं **अभियुक्ता श्रीमती जेठी देवी** को धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उक्त सारणी में

वर्णितानुसार गवाहान के बयान करवाये गये व सारणी में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04. अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा **313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उनके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

05. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष के सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी का पूर्णतयाः समर्थन किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान ने विभिन्न फर्दों की ताईद की है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावें।

06. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन रहा कि अभियुक्तगण निर्दोष है, झूठा फसाया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास उभरकर सामने आया है। साथ ही अभियोजन पक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण फर्दों को प्रमाणित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

07. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

क– आया अभियुक्त देरामा राम से दिनांक 13.09.2012 को 12.15 पीएम के लगभग मौजा मधुफला पेट्रोल पम्प के सामने दौराने नाकाबंदी राजेश शर्मा, थानाधिकारी थाना डबोक ने ट्रक टर्बो राख्या आरजे 07 जीबी 3345 में से अंग्रेजी शराब बीयर हेवडर्स 5000 टीनवाली के 387 कार्टून प्रत्येक में 24 बोतल कुल 9288 बोतल, बेग पाईपर व्हीस्की के 285 कार्टून प्रत्येक में 48 पव्वे कुल 13680 पव्वे, रॉयल स्टेज व्हीस्की के 218 कार्टून प्रत्येक में 48 पव्वे कुल 10464 पव्वे आप द्वारा परिवहन करते हुए बरामद किये। उक्त शराब को रखने व परिवहन करने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र अभियुक्त के पास नहीं पाया गया एवं अभियुक्त ने उक्त ट्रक जो उसने मूलाराम से खरीदी थी, को आबकारी अधिनियम के अपराध में प्रयुक्त हेतू सहअभियुक्त को दी?

ख– आया अभियुक्त हेमाराम से उक्त दिनांक, समय व स्थान पर दौराने नाकाबंदी राजेश शर्मा, थानाधिकारी, थाना डबोक ने ट्रक टर्बो संख्या आरजे 07 जीबी 3345 में से अंग्रेजी शराब बीयर हेवडर्स 5000 टीनवाली के 387 कार्टून प्रत्येक में 24 बोतल कुल 9288 बोतल, बेग पाईपर व्हीस्की के 285 कार्टून प्रत्येक में 48 पव्वे कुल 13680 पव्वे, रॉयल स्टेज व्हीस्की के 218 कार्टून प्रत्येक में 48 पव्वे कुल 10464 पव्वे द्वारा परिवहन करते हुए बरामद किये। उक्त शराब को रखने व परिवहन करने का कोई वैध

अनुज्ञा पत्र अभियुक्त के पास नहीं पाया गया?

ग– आया उक्त दिनांक, समय व स्थान पर दौराने नाकाबंदी राजेश शर्मा, थानाधिकारी, थाना डबोक ने ट्रक ट्र्बो संख्या आरजे 07 जीबी 3345 में से अंग्रेजी शराब बीयर हेवडर्स 5000 टीनवाली के 387 कार्टून प्रत्येक में 24 बोतल कुल 9288 बोतल, बेग पाईपर व्हीस्की के 285 कार्टून प्रत्येक में 48 पव्वे कुल 13680 पव्वे, रॉयल स्टेज व्हीस्की के 218 कार्टून प्रत्येक में 48 पव्वे कुल 10464 पव्वे अभियुक्तगण देरामा राम व हेमाराम द्वारा परिवहन करते हुए बरामद किये। इस प्रकार अभियुक्ता जेठी देवी ने अपने नाम से पंजीकृत वाहन को आबकारी अधिनियम के अपराध में प्रयुक्त हेतू सहअभियुक्त को दिया?

घ– यदि हां तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी?

08. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का सुक्ष्मता से विवेचन विश्लेषण करें तो प्रकरण में प्रार्थी राजेश शर्मा पी.ड–09 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 13.09.2012 को वह थानाधिकारी थाना डबोक पर पदस्थापित था। उसदिन समय 11 एएम पर जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक ट्रक जिसके नम्बर आरजे 07 जीबी 3345 में कपासन की तरफ से अंग्रेजी शराब भरकर गुजरात को जाने वाली है। इस सूचना पर वह मय जाप्ते के रवाना होकर मधुफला पेट्रोलपम्प के सामने पहुंचा और नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी दो राह चलते राहगिरों से मोतबीरान बनने की स्वीकृति प्राप्त की। भीमराज डांगी व रामलाल बंजारा ने सूचना के अनुसार मोतबीर बनने की स्वीकृति प्रदान की। दौराने नाकाबंदी 12:15 बजे एक ट्रक टर्बो जिसके नम्बर आरजे 07 जीबी 3345 डबोक की तरफ आता हुआ नजर आया, जिसको ईशारा देकर जाप्ते की मदद से रोका गया। ट्रक के केबिन में बैठे ड्राईवर व खलासी को नीचे उतार कर नाम पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम देरामा राम चौधरी निवासी बाडमेर व खलासी ने अपना नाम हेमाराम चौधरी निवासी बाड़मेर होना बताया। मौतबीरान के समक्ष ट्रक के उपर लगे तिरपाल को हटाकर देखा गया तो ट्रक के अंदर अंग्रेजी शराब व बीयर की पेटियां भरी हुई थी। ट्रक चालक से उक्त शराब का लाईसेंस बाबत् पूछा गया तो कोई लाईसेंस होना नहीं बताया, जिस पर ट्रक चालक व खलासी व ट्रक को साथ लेकर थाने पर आये। मौतबीरान के समक्ष ट्रक में भरी हुई अंग्रेजी शराब को उतार कर उसकी गिनती की गई तो हेवर्डस बीयर 5000 500 एमएल के 387 कार्टून व बेगपाईपर विस्की के 285 कार्टून व रॉयल स्टेज विस्की के 218 कार्टून थे। अभियुक्तों द्वारा बिना लाईसेंस अवेध शराब का परिवहन करना जुर्म धारा 19/54 आबकारी अधिनियम का अपराध पाये जाने पर उक्त शराब को जरिये फर्द जप्त किया गया व जप्तशुदा शराब को एफएसएल जांच हेतु सेम्पल लिये गये। सेम्पल पर कमशः मार्क ए. एन. बी, बी1, सी, सी1 अंकित अंकित किया गया। अभियुक्त देरामा राम व हेमाराम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वाहन आरजे 07 जीबी 3345 को जरिये फर्द वापसी पर प्रकरण संख्या 305/12 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में पंजिबद्ध कर जांच श्री मगनलाल एएसआई को सुपूर्द की गई। पर्चा कायमी प्रदर्श पी 11. चाक एफआईआर प्रदर्श पी 12, रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 जिन पर ए से बी उसके साईन है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी

01 पर ई से एफ फर्द जप्ति शराब प्रदर्श पी 04 व फर्द जप्ति प्रदर्श पी 03 पर ई से एफ उसके व जी से एच व आई से जे अभियुक्तगण के साईन है। फर्द गिरफ्तारी हेमाराम प्रदर्श पी 05 व फर्द गिरफ्तारी देरामा राम प्रदर्श पी 06 पर ई से एफ उसके साईन है। जिरह के दौरान प्रार्थी का कथन रहा कि प्रकरण के अनुसंधान का आदेश उसके द्वारा ही दिया गया था, जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी एएसआई मगनलाल के जिम्मे किया। पर्चाकायमी प्रदर्शपी 11, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 04 व 03 पर जाब्ता की उपस्थिति के संबंध में साइन नहीं है। धारा 45 आबकारी अधिनियम के तहत मौके पर कोई नक्शा नहीं बनाया गया। जब्त शराब की गिनती साथ में गए जाब्ता में से की गई थी। फोटोग्राफ प्रदर्श डी 01 व 02 में शराब के कार्टून नजर नहीं आ रहे हैं। यह सही है कि मौतबिरान के समक्ष पुलिस वाहन व थाने परिसर की कार्यवाही नहीं की गई थी।

09. प्रार्थी राजेश शर्मा ने थाने के जाब्ते के साथ, दौराने नाकाबंदी अभियुक्तगण देरामा राम व हेमा राम के कब्जे से शराब जब्त होने का कथन किया है, इस संबंध में थाने के जाब्ते के रूप में गवाह पी डब्लू 1 लाल शंकर, पी डब्लू 3 केदारमल, पी डब्लू 8 हरि सिंह, पी डब्लू 10 सत्यपाल परिक्षित हुए हैं, इन सभी गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रार्थी राजेश शर्मा के साथ जाने, ट्रक में शराब भरी होने से उसे थाने में लाकर शराब व वाहन को जब्त करने एवं अभियुक्त को गिरफ्तार करने का कथन किया है। इन सभी गवाहों ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी व पर्चाकायमी पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रार्थी राजेश शर्मा द्वारा जाब्ते के हस्ताक्षर क्यों नहीं करवाए गए, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

10. पी.ड– 01 लाल शंकर ने अपनी जिरह में जब्तशुदा माल में से कितने कार्टून बीयर व किस वैरायटी की थी, इस बारे में जानकारी होने से इनकार किया है तथा स्वयं द्वारा कार्टून नहीं गिनने का कथन किया है। गवाह पी.ड– 03 केदारमल ने मौके पर आबकारी अधिनियम के अनुसार मौका पर्चा बनाने तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है, जबकि प्रार्थी राजेश शर्मा ने यह स्वीकार किया है कि मौके पर धारा 45 आबकारी अधिनियम के अनुसार किसी प्रकार का पर्चा नहीं बनाया गया था। इससे इस गवाह की मौके पर उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। गवाह पी.ड– 08 हरि सिंह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि शराब के सैंपल की कार्यवाही मौके पर नहीं की गई हो, स्वयं कहा कि जहां गाड़ी पकड़ी, वहां की गई थी। इस गवाह ने जहां गाड़ी पकड़ी, वहां पर सैंपल की कार्यवाही करना बताया है। जबकि प्रार्थी राजेश शर्मा वाहन को थाने पर लाकर सैंपल निकालने की कार्यवाही करना बताता है। गवाह पी.ड–10 सत्यपाल ने अपनी जिरह में मौके पर सैंपल संबंधी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने का कथन किया है। प्रार्थी राजेश शर्मा ने अपने साथ थाने का जाब्ता होने व उनके समक्ष कार्यवाही करना बताया है, परन्तु सभी गवाहों ने एक स्वर में उनके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने से इनकार किया है तथा जिरह के दौरान भी गवाहान ने मौके पर ही सैंपल निकालने, पर्चा मौका बनाने के कथन किये हैं, जो प्रथम दृष्टया ही उनकी मौके पर उपस्थिति को संदिग्ध बनाते हैं।

11. प्रार्थी राजेश शर्मा द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी– 03 व 04 चार शराब व वाहन जब्त करने का कथन किया गया है, इस संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी– 04 का अवलोकन करें

तो मौतबीर गवाह भीम राज वह रामलाल के समक्ष शराब व वाहन जब्त करने का अंकन है, इस संबंध में गवाह पीडब्लू 05 भीम राज की साक्ष्य का अवलोकन करें तो यह गवाह पक्षद्रोही हुआ है तथा पुलिस के कहने पर फर्द जब्ती प्रदर्श पी– 03 व 04 एवं फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण प्र पी 05 व 06 पर हस्ताक्षर करना बताता है, इस गवाह ने सभी फर्दों पर चाय की दुकान पर हस्ताक्षर करने तथा उसके समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाई किये जाने से इंकार किया है। इसी प्रकार फर्द जब्ती का अन्य गवाह पीडब्लू 02 रामलाल भी पक्षद्रोही हुआ है तथा फर्द जब्ती प्र पी– 03 व 04 एवं फर्द गिरफतारी प्र पी 05 व 06 पर पुलिस के कहने से हस्ताक्षर करने तथा उसके समक्ष किसी भी प्रकार की शराब बरामद करने अथवा अभियुक्तगण को गिरफतार करने से स्पष्ट इंकार करता है। फर्द जब्ती के दोनों ही गवाहान भीम राज व रामलाल पक्षद्रोही हुए हैं तथा अभियुक्तगण से शराब बरामद होने एवं उन्हें मौके से गिरफतार करने के तथ्यों की लैशमात्र भी ताइद नहीं करते हैं। प्रार्थी राजेश शर्मा के साथ जाब्ते के गवाहान ने फर्द जब्ती एवं फर्द गिरफतारी के संबंध में मौखिक कथन किये हैं, परन्तु उनके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं है तथा जिरह में भी अनुसंधान अधिकारी स्वीकार करता है कि उसने जब्तशुदा शराब का भौतिक सत्यापन नहीं किया। प्रकरण में अभियुक्तगण देरामा राम व हेमा राम के कब्जे से शराब बरामद होने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।

12. प्रकरण में अभियुक्ता श्रीमती जेठी बाई पर अपराध धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आरजे 07 जी बी 3345 की जेठी देवी पंजीकृत स्वामी थी। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.ड– 06 नारायण सिंह ने अपनी मुख्य परिक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 12.11.2014 को वृत्ताधिकारी वल्लभनगर के पद पर तैनात था। प्रकरण संख्या 305/2012 एक्ससाईज एक्ट पुलिस थाना डबोक की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। उसने वाहन मालिक श्रीमती जेठी देवी पत्नी मूलाराम जाट निवासी जाटावास कोलायत जिला बीकानेर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जो प्रदर्श पी 8 होकर उस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्ता जेठी व ई से एफ मूलाराम जी से एच रामेश्वर गवाहन के साईन है। जेठी बाई के नाम रजिस्टर्ड वाहन आरजे 07 जीबी 3345 की छाया प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की, जिस पर उसका पृष्ठांकन है। वाहन आरजे 07 जीबी 3345 की जेठीबाई पंजीकृत स्वामी होने से उसके विरूद्ध अपराध धारा 19/54 क आबकारी अधिनियम में आरोप प्रमाणित मान पत्रावली थानाधिकारी को सुपूर्द की। जिरह के दौरान गवाह का कथन रहा कि यह सही है कि पूर्व के आइओ ने जेठी देवी को अभियुक्त नहीं माना था। उसके अनुसंधान में जेठी देवी द्वारा अणदाराम को वाहन बेचने तथा पंजीकृत दस्तावेज परिवर्तित नहीं होने का तथ्य नहीं आया था। उसने जेठी बाई के पंजीकृत स्वामी होने से जुर्म प्रमाणित पाया था तथा पंजीकृत स्वामी होने के आधार पर ही गिरफ्तार किया था। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आर जे 07 जीबी 3345 की जेठी बाई पंजीकृत स्वामी हैं। प्रकरण में जेठी बाई को पंजीकृत स्वामी होने से अभियुक्त माना गया है।

13. इस संबंध में अभियुक्ता श्रीमती जेठी बाई ने स्वयं को न्यायालय के समक्ष डी.डब्ल्यू 01 के रूप में परिक्षित करवाया है तथा अपनी मुख्य परिक्षा में कथन किया कि उसके नाम पर एक ट्रक जिसके नम्बर आरजे 07 जीबी 3345 थे, जिसकी वह पंजीकृत स्वामी थी।

यह गाडी उन्होंने अंणदाराम को 07.09.2012 को 27 लाख रूपये में बेची थी। इस गाडी की लिखापढी करी थी, जो प्रदर्श डी 01 है, जिस पर ए से बी उसके साईन है व सी से डी अणदाराम के साईन है। वाहन पर फाईनेंस होने की वजह से गाडी उसके नाम पर ही रह गई। गाडी का कब्जा वक्त इकरारनामा वाहन अणदाराम को सुपूर्द कर दिया था। वाहन का संचालन अणदाराम के पास ही था। अणदाराम ने वाहन किसको बेचा, उसे नहीं पता। उक्त लिखापढी उसने पुलिस को पेश की थी, जो पत्रावली में संलग्न है। जिरह के दौरान अणदाराम द्वारा गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को बेचने अथवा नहीं बेचने के संबंध में जानकारी होने से इनकार किया है तथा इंश्योरेंस की किस्तें जमा नहीं होने से वाहन अंतरित नहीं होना बताया है। जेठी बाई ने यह भी स्वीकार किया है कि वाहन संख्या आरजे 07 जीबी 3345 की वह पंजीकृत स्वामी है। अपनी साक्ष्य में जेठी बाई ने उक्त वाहन अणदाराम को दिनांक 07.09.2012 को बेचने का कथन किया है। इस संबंध में विक्रय इकरार प्रदर्श डी–1 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। उक्त विक्रय इकरार इस प्रकरण के संस्थित होने से पूर्व ही किया गया था। विक्रय इकरार प्रदर्श डी–1 का अवलोकन करें तो उसमें वाहन संख्या आरजे 07 जीबी 3345 को अणदाराम को विक्रय करने का अंकन है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा जो आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया है, उस आरोपपत्र में भी जेठी बाई द्वारा अणदाराम को वाहन विक्रय करने का अंकन है। जेठी बाई द्वारा जो विक्रय इकरार प्रदर्शित करवाया गया है, वह दौराने तफतीश अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः उक्त विक्रय इकरार के संदिग्ध होने अथवा कूटरचित होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं हुआ है, जिससे यह स्पष्ट स्थिति है कि जेठी देवी द्वारा अणदाराम को वाहन दिनांक 07.09.2012 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के उपबंध का अवलोकन करें तो यदि वाहन स्वामी न्यायालय के समक्ष यह साबित कर देता है कि उसके वाहन से किसी प्रकार की अवैध शराब का परिवहन किये जाने का उसे ज्ञान नहीं था तो उस स्थिति में वाहन स्वामी को किसी प्रकार के अपराध का उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। हस्तगत प्रकरण में भी जेठी देवी द्वारा 07.09.2012 को वाहन अणदाराम को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द करने का तथ्य साबित हुआ है। उक्त स्थिति में जब्दशुदा वाहन से शराब परिवहन किये जाने के संबंध में जेठी देवी को किसी प्रकार का ज्ञान अथवा उसका ऐसा आशय रहा हो यह तथ्य न्यायालय के समक्ष साबित नहीं होता है।

14. उपरोक्त प्रकार से साक्ष्य के समग्र विवेचन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियुक्तगण देरामा राम व हेमा राम के कब्जे से शराब जब्त होने तथा वाहन से शराब परिवहन किये जाने का ज्ञान जेठी देवी को होने का तथ्य युक्ति युक्त संदेह से परे न्यायालय के समक्ष साबित नहीं हुआ है। अतः **अभियुक्त देरामा राम** को धारा 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम, अभियुक्त हेमाराम को धारा धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम एवं अभियुक्ता श्रीमती जेठी देवी को धारा 19/54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत् **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

15. लिहाजा **अभियुक्त 1.** देरामा राम पुत्र विरमा राम, उम्र– बालिग, निवासी–

रामदेव मंदिर सेतराउ, थाना– रामसर, जिला– बाड़मेर राज. को आरोपित अपराध धारा 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अभियुक्त **2.** हेमा राम पुत्र जोरा राम, उम्र– बालिग, निवासी– रामदेव मंदिर सेतराउ, थाना– रामसर, जिला– बाड़मेर राज. को आरोपित अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं अभियुक्ता **3.** श्रीमती जेठी देवी पत्नी मुलाराम, उम्र– बालिग, निवासी– जाटावास वार्ड नंबर कोलायत, थाना– कोलायत, बीकानेर राज. को आरोपित अपराध धारा– 19/54ए राज. आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

16. अभियुक्तगण द्वारा अन्वीक्षार्थ प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते है। साथ ही अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वे धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पांच–पांच हजार रुपये के जमानत–मुचलके (अपील की अपेक्षा के अध्यधीन अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतू) पेश करें, जो छः माह की अवधि के पश्चात् स्वतः निष्प्रभावी समझे जावें।

17. प्रकरण में बरामदा शराब के बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण बाबत् संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

(प्रेम प्रकाश जीनगर)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–01, मावली, जिला– उदयपुर(राज०)

18. निर्णय आज दिनांक **01 जुलाई, 2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(प्रेम प्रकाश जीनगर)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–01, मावली, जिला– उदयपुर(राज०)